

न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 97/2019-20

बालमुकुन्द कुमार कश्यप पिता रमन महतो
ग्राम-गायत्री नगर, डहुगुट्ट, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।

- अपीलकर्ता

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी।

- विपक्षी

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
17.02.20	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-1313R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना/थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>डहुगुट्ट</td><td>खूँटी 89</td><td>22</td><td>546</td><td>0.06½</td></tr></tbody></table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने को सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते हैं कि मौजा-डहुगुट्ट, थाना-खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.06½ एकड़ है जिसे रमन महतो पिता स्व० बहुरन महतो वो ग्राम-गायत्री नगर डहुगुट्ट, थाना-खूँटी से विक्रय पट्टा सं० 666/645 दिनांक 27.04.16 से भूमि खरीदी गयी है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं० 1313R27/18-19 पड़ा।</p> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खाता नं० 22, प्लॉट नं०-546 पंजी-2 में दर्ज नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि खाता सं० 22 का रसीद अंचल द्वारा निर्गत किया गया परन्तु उक्त रसीद में खेसरा संख्या अंकित नहीं किया गया है। अन्त में अधिवक्ता के द्वारा खेसरा संख्या अंकित करते हुए दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी को निर्देश देने हेतु प्रार्थना करते हैं।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त खेसरा का इन्द्राज कराने हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी को आवेदन दे। अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से खेसरा दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त करते हुए पंजी-2 में खेसरा दर्ज करने के पश्चात् दाखिल खारिज हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	डहुगुट्ट	खूँटी 89	22	546	0.06½	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
डहुगुट्ट	खूँटी 89	22	546	0.06½								